भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2176
दिनांक 15 दिसम्बर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

औषध मूल्य नियंत्रण प्रणाली

2176. श्री गजानन कीर्तिकरः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जीवन रक्षक दवाओं और कुछ अन्य औषधियों की कमी के कारण इन्हें अत्यधिक कीमतों पर बेचा जा रहा है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक दवा के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है;
(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है कि उक्त औषधियों के मूल्य देश में वहनीय सीमा के भीतर बनाए रखे जाएं;
(घ) क्या सरकार ने देश में जीवन रक्षक दवाओं का न्यूनतम भंडार बनाए रखने के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सरकार द्वारा देश में मूल्य नियंत्रण प्रणाली की समीक्षा करने के लिए किसी उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है/करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) देश में औषधियों के कम लागत में उत्पादन की संभावना का पता लगाने के संबंध में अनुसंधान और विकास को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर
रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री (श्री भगवंत खुबा)

(क) से (ग): स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमएचएफडब्ल्यू) द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची (एनएलईएम) में शामिल आवश्यक दवाएं औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 (डीपीसीओ, 2013) की अनुसूची-1 में शामिल हैं और उनके अधिकतम मूल्य औषध विभाग

(डीओपी) के अंतर्गत राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा नियत किए जाते हैं। कोई भी विनिर्माता इन दवाइयों को एनपीपीए द्वारा नियत अधिकतम मूल्य से अधिक मूल्य पर बिक्री नहीं कर सकता है। देश में दवाइयों की कमी के कारण उच्च मूल्य पर बिक्री के संबंध में एनपीपीए को हाल ही में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(घ): डीपीसीओ, 2013 के विद्यमान प्रावधानों के अनुसार, आपातकाल की स्थिति में या अत्यावश्यकता की परिस्थितियों में या लोक हित में गैर-व्यावसायिक उपयोग की दशा में औषधियों की पर्याप्त उपलब्धता प्राप्त करने और वितरण को विनियमित करने की दृष्टि से सरकार किसी भी सक्रिय औषधि संघटक (एपीआई) या बल्क औषधि या फॉर्मूलेशन के किसी भी विनिर्माता को ऐसे एपीआई या थोक औषधि का उत्पादन बढ़ाने और फॉर्मूलेशन को ऐसे अन्य विनिर्माताओं को बिक्री और फॉर्मूलेशन को, यथास्थिति, संस्थानों, अस्पतालों या किसी भी एजेंसी को बिक्री के लिए फॉर्मूलेशन बनाने वालों को निदेश देने के लिए निदेश दे सकती है।

(ङ): अपने अधिदेश के अनुसार, एनपीपीए, विशेषज्ञों का एक निकाय, डीपीसीओ के प्रावधानों के अनुसार दवाओं के मूल्य को नियंत्रित/विनियमित करता है।

(च): फार्मा क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास विभिन्न वैज्ञानिक मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत कई संस्थानों और संगठनों द्वारा किया जाता है। औषध विभाग (डीओपी) ने औषध और चिकित्सा उपकरणों में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने और इस क्षेत्र में नवाचार के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए दिनांक 18.8.2023 को भारत में फार्मा- मेडटेक सेक्टर में अनुसंधान एवं विकास और नवाचार पर एक राष्ट्रीय नीति अधिसूचित की है। इसके अतिरिक्त, औषध विभाग (डीओपी) ने देश में अनुसंधान बुनियादी ढांचे को सशक्त करके फार्मा मेडटेक क्षेत्र को लागत-आधारित से नवाचार-आधारित क्षेत्र में बदलने के उद्देश्य से 5 साल अर्थात वर्ष 2023-24 से वर्ष 2027-28 की अवधि के लिए 5000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ दिनांक 17.08.2023 को फार्मा क्षेत्र (पीआरआईपी) में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने की योजना को भी अधिसूचित किया है। इसके अतिरिक्त, औषध विभाग (डीओपी) ने राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में सात राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर) स्थापित किए हैं, जो स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट शिक्षा प्रदान करने के अतिरिक्त, विभिन्न फार्मा विशेषज्ञता में उच्च स्तरीय अनुसंधान करते हैं।

*****